इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *127

22 मार्च, 2012 को उत्तर के लिए

संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

*127. श्री आर.सी. सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु किए गए समझौता-ज्ञापन के छः वर्षों के पश्चात् भी किसी भी संयंत्र में उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त संयंत्रों में उत्पादन आरंभ किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) समझौता-ज्ञापन और उत्पादन आरंभ करने के मामले में मंत्रालय की क्या भूमिका है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'संयंत्रों में इस्पात का उत्पाद' के बारे में श्री आर.सी. सिंह, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 22.3.2012 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *127 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार कई नई इस्पात क्षमताएं प्रचालन में आ गई हैं। वर्तमान में देश में इस्पात क्षमता 56.84 एमटीपीए (मार्च, 2007) से बढ़कर लगभग 88 एमटीपीए हो गई है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ड.): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात मंत्रालय व्यक्तिगत इस्पात यूनिटों में उत्पादन आरंभ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। यह पूर्ण रूप से परियोजना विशेष निष्कर्ष होते हैं जो भूमि अधिग्रहण, कच्चे माल के लिंकेजों, वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों इत्यादि की प्रगति के अतिरिक्त कई घटकों यथा वित्त की उपलब्धता, बाजार की परिस्थितियां और अन्य प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिकी पैरामीटरों पर निर्भर करते हैं।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधित राज्य सरकार और संबंधित स्टील निवेशकों के बीच पूर्णतया एक सहमति है। भारत सरकार इस संबंध में कोई भूमिका नहीं निभाती है।

तथापि, मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है जिसे प्रमुख इस्पात निवेशों से संबंधित मामलों को मॉनीटर और समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।